भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 410
जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है।
15 माघ, 1943 (शक)

गलत जानकारी फैलाने में टेक फॉग ऐप की भूमिका

410. श्री सैयद नासिर हुसैन :
श्री शक्तिसिंह गोहिल :
श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के विरोध-प्रदर्शन, दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा और भारत में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान गलत जानकारी फैलाने में टेक फॉग ऐप की भूमिका की जांच कराई है अथवा कराने की मंशा रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय नफरत भरे भाषण और गलत जानकारी फैलाने के इरादे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेरफेर करने के लिए तैयार किए गए ऐप्स का पता लगाती और निगरानी रखती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने टेक फॉग ऐप की जांच कराई है अथवा कराने की मंशा रखती है, जिसका उपयोग ट्विटर के ट्रेंडिंग भाग को हड़पने और पत्रकारों को ऑनलाइन रूप से परेशान करने के लिए किया गया है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क), (ख) और (ड.): सरकार ने कथित ऐप अर्थात 'टेक फॉग' नामक के बारे में समाचार से संबंधित लेखों को नोट किया है, जिसका उपयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हेरफेर करने के लिए किया गया है। इस मंत्रालय ने प्रमुख ऐप स्टोर और एपीके स्टोर पर ऐप का पता लगाने की कोशिश की है और इनमें से किसी भी ऑनलाइन स्टोर में ऐप नहीं मिला। यह मंत्रालय किसी भी तकनीकी सूभेद्यता से अवगत नहीं है जो सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करता है जैसा कि समाचार से संबंधित लेखों के बारे में रिपोर्ट की गई है।

(ग) और (घ): सरकार उपयोगकर्ताओं के लिए खुले, सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत और घृणित सूचना के प्रसार की

बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न जोखिम और खतरे से अवगत है। यह मंत्रालय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होने वाले ऐप्स या सामग्री को ट्रैक और मॉनिटर नहीं करता है।

सरकार ने प्रयोक्ताओं को होने वाले नुकसान और सोशल मीडिया प्रतिनिधि / प्लेटफार्मों पर उपलब्ध घृणित सूचना की चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:

(i) उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और उपयोगकर्ता सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, सरकार ने 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2021 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमावली, 2000 को अधिसूचित किया है । इन नियमावली में यह अपेक्षा की जाती है कि माध्यस्थ यथानिर्धारित निश्चित समयक्त तत्परता का पालन करें। उनसे अपेक्षा की जाती है कि अपने उपयोगकर्ताओं को किसी भी तरह की सूचना होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, अद्यतन या साझा नहीं करने के लिए सूचित करना है जो हानिकारक, आपत्तिजनक और किसी भी तरह से गैरकानूनी हो । उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) से संबंधित किसी भी गैरकानूनी सूचना सामग्री कानून या उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को हटाने की आवश्यकता होती है, जब कभी भी अदालत के आदेश के माध्यम से या उपयुक्त सरकार या इसकी एजेंसी द्वारा नोटिस के माध्यम से उनकी जानकारी में लाया जाता है।

(ii) आईटी अधिनियम की धारा 79 में यह प्रावधान किया गया है कि अदालत के आदेश के माध्यम से या उचित सरकार या इसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने पर माध्यस्थों को कानून का उल्लंघन होने पर संविधान के अनुच्छेद 19(2) से सम्बंधित गैरकानूनी सामग्री को अक्षम / हटाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, राज्यों और केन्द्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियां, यथाउपयुक्त, लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार साइबर अपराध के अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करती हैं।

(iii) आईटी अधिनियम की धारा 69क सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त, संग्रहीत या होस्ट की गई किसी भी जानकारी या सार्वजनिक आदेश या उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को करने या उकसाने से रोकने के लिए को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।

*****